

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो किस
हुकम की तामील
में जारी हुए

31/9/14 पत्रावली पेश हुई। वकील वार्द /
पत्रावली उपस्थित / अनु. पत्रावलियों
की अधिकता के कारण आज इस प्रकरण
में अतिरिक्त कार्यवाही नहीं हो सकी।
नी पूंवादा दिनांक 29/9/14

29/9/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
बाबत दिनांक 22.05.2015 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस नहीं जा
रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को प्रकरण में अस्थाई
निषेधाज्ञा की आवश्यकता नहीं है। चूंकि प्रकरण दिनांक 22.05.
2015 से न्यायालय में लम्बित है। वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा प्रस्तुत किये जाने के उपसंत 10 वर्ष व्यतीत होने के
पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत
नहीं होता है। उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र मत में जबकि
प्रार्थी स्वयं की रुचि स्थगन प्रार्थना पत्र में नहीं है, हम उक्त
प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाना न्यायोचित पाते हैं। पत्रावली
फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।



उपखण्ड अधिकारी
कोल